UPME010079332026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट मेरठ।

उपस्थितः– अमित वीर सिंह (H.J.S.)

J.O. Code No.–UP6240

कम्पयूटर रजिस्ट्रेशन सं० 2606/2026

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2100/2026

शिवा राणा पुत्र श्री जितेन्द्र राणा, निवासी– के–ब्लोक शास्त्रीनगर, थाना नौचन्दी, मेरठ। हाल निवासी शनि मन्दिर के पास सतवाई मारबल वाली रोड, बागपत रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ।

... ...अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... ... .अभियोजन।

मु०अ०सं० 67/2025
धारा–109(1), 103(1) बी.एऩ.एस.
थाना– जानी, जिला मेरठ।

दिनांक– 06.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त शिवा राणा पुत्र श्री जितेन्द्र राणा, निवासी– के–ब्लोक शास्त्रीनगर, थाना नौचन्दी, मेरठ। हाल निवासी शनि मन्दिर के पास सतवाई मारबल वाली रोड, बागपत रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 67/2025, धारा– 109(1), 103(1) बी.एऩ.एस., थाना जानी, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री ताहिर द्वारा थाना जानी, जिला मेरठ में तहरीर दिनांक 09.02.2025 को समय 00.35 बजे इस आशय की दी गयी कि– आज दिनांक 8/02/25 को समय लगभग 10:48 रात को इमरान पुत्र लियाकत उम्र लगभग 38 वर्ष, सलमान पुत्र लियाकत उम्र लगभग 28 वर्ष तथा जावेद पुत्र नजरू उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी ग्रढ पाँचली खुर्द थाना जानी मेरठ को जान से मारने की नियत से रिंकू पुत्र रामै गुर्जर निवासी पाँचली खुर्द थाना जानी मेरठ ने गोली मार दी। इसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। इमरान की मौके पर ही मृत्यू हो गई तथा सलमान व जावेद को गम्भीर गोली लगी है जिसका

सुभारती मे इलाज चल रहा है, अतः अनुरोध है कि मुकदमा लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि – उपरोक्त वाद के अंतर्गत चार्जशीट आने पर सत्र परीक्षण सं0 496/2026 माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें तिथि 27.05.2026 नियत है। माननीय सत्र न्यायालय में प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी माननीय न्यायालय में नही दिया गया और ना ही विचाराधीन है। उपरोक्त अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई नामदर्ज रिपोर्ट नही है और ना ही प्रार्थी/अभियुक्त मौके से गिरफ्तार है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है और घटना के करीब 10 माह बाद दिनांक 24.12.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस में गिरफ्तार किया गया है। अवलोकन के लिये एफ०आई० आर० की कॉपी संलग्नक (क) है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध चक्षुदर्शी साक्ष्य किसी प्रकार का नही हैं। कथित घटना दिनांक 08.02.2025 को समय रात्रि 10:48 बजे की दर्शायी गयी है और एफ०आई०आर० दिनांक 09.02.2025 को समय लगभग 00:40 बजे दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई कारण नही दर्शाया गया है। रिपोर्टकर्ता या ब्यान मजरूब सलमान और जावेद ने भी प्रार्थी/अभियुक्त का नाम घटना कारित करने में नही लिया है यदि घटना में प्रार्थी/अभियुक्त वास्तव में शामिल होता तो प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उसी समय जावेद और सलमान के द्वारा लिया जाता। गवाह जावेद, सलमान ने केवल रिंकू राणा का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया गया है। जबकि घटना के समय रिकू व मृतक इमरान व सलमान तथा जोवद द्वारा एक साथ भारी मात्रा में शराब का सेवन करना बताया गया है। मजरूब, जावेद व सलमान के ब्यान में बताया गया कि रिंकू के साथी अन्य व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ था लेकिन शराब बराबर पी जा रही थी जबकि चेहरा ढका रहने पर किसी भी दशा में शराब का सेवन नही हो सकता है। घटना के चश्मदीद साक्षी कथित घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे और यदि प्रार्थी/अभियुक्त भी घटना के समय घटना स्थल पर था तो साक्षीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त को नामजद किया जाता। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी एवं झूठी कहानी बनाकर उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। सलमान को भागते हुए पीछे से गोली लगना बताया है जिससे भी यह स्पष्ट नही बताया जा सकता कि गोली किसने मारी हैं। घटना अपने आप मे संकेत दे रही है कि जहां पांच व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा शराब का नशा कर रहे हैं वहां उनका या तो कोई गलत कार्य करते हुए घटना घटित हुई या आपस में कोई झगडा हुआ है या किसी बाहरी व्यक्ति ने उनके साथ घटना कारित की है। उक्त केस के मृतक, मजरूब व अभियुक्त सभी शराब के नशे में थे और ये भी संभावना है कि नशे में होने के कारण उन्हे असल मुल्जिम का पता ही नही चला हो। कथित घटना राधा कुंज कालोनी की बतायी गयी है जो कि घनी आबादी की कालोनी है जहां कालोनी के किसी भी

सी०सी०टी०वी० कैमरो से सभी व्यक्तियो की पहचान के लिये फुटेज निकल सकती थी जिससे अभियुक्तगण आसानी से पकड में आ सकते थे और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी सम्पूर्ण केस डायरी में नही दर्शाया गया है। यदि वास्तव में प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना में अभियुक्त रिंकू का साथी होता तो रिंकू के फोन पर प्रार्थी/अभियुक्त के फोन की कॉल डिटेल अवश्य ही मिलती जबकि प्रार्थी/अभियुक्त किसी रिंकू या इमरान या जावेद या सलमान से कभी नही मिला और ना ही इन्हे जानता है और ना ही प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना के समय वहां मौजूद था। कथित घटना का कोई मोटिव नही है इतनी बडी घटना बिना किसी मोटिव के कारित नही हो सकती। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम एक सोची समझी साजिश से लिया जा रहा है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त घटना में शामिल होता तो ब्यान मजरूब व जावेद, प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अवश्य ही बताते लेकिन बाद में ब्यान मजीद मजरूब सलमान व जावेद द्वारा बिना किसी सबूत के बिना किसी आधार के प्रार्थी/अभियुक्त का नाम लिया गया है जिसकी कानूनी की दृष्टि में कोई मान्यता नही है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी हथियार की बरामदगी नही हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त से जो बरामदगी तमंचा और एक खाली तमंचे का खोखा दिखाया गया है वह तमंचे का खाली खोका पुलिस जानी ने पुलिस पर फायर करने का पुलिस मुठभेड का फर्जी दिखाया है, बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी सम्पूर्ण केस डायरी में नही दर्शाया गया है। मजीद ब्यान जावेद ने बताया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का नाम बाद में पता चला लेकिन यह नही बताया गया कि बाद में कैसे और कहां से प्रार्थी/अभियुक्त का नाम पता चला। जबकि पहले से मौके पर जावेद और सलमान का होना बताया गया है। गांव के सी०सी०टी०वी० कैमरे किस व्यक्ति के यहां के कैमरे से प्रार्थी/अभियुक्त का नाम पता चला उसका ब्यान भी नही है ना ही कोई कैमरे की फुटेज है जिस ओमी के घर प्रार्थी/अभियुक्त का आना जाना बताया है उस ओमी का कोई ब्यान भी उक्त केस के विवेचक द्वारा नही लिया गया है। सी०डी० 48 पर सलमान द्वारा 112 नंबर पर कॉल करके बताया गया कि अनजान लोगो द्वारा उसे गोली मार दी गयी है उसे एम्बूलेन्स चाहिए अर्थात यहां पर भी सलमान ने प्रार्थी/अभियुक्त या किसी अन्य अभियुक्त का नाम नही लिया। सी0 डी0 41 के अंतर्गत मुख्य आरोपी रिंकू की मु0 अ 0 सं0 191/2025, अंतर्गत धारा 103 (1) बी०एन०एस० के अंतर्गत दिनांक 24.04.2025 को मृत्यु दिखायी गयी है अर्थात मुख्य आरोपी का भी कोई बयान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नही रहा और ना किसी घायल या मृतक का ब्यान भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नही रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 24.12.2025 की दोपहर को प्रार्थी/अभियुक्त के घर से उठाया गया और पूरा दिन थाने पर पूछताछ के लिये रखा गया और रात्रि करीब 12 बजे गंगानगर पर ले जाकर पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के पैर में गोली मारकर प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिखाकर और फर्जी तमंचा व कारतूस दिखाकर प्रार्थी/अभियुक्त पर पुलिस मुठभेड का फर्जी केस लगाया। 19. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कथित कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त समाज का

संभ्रान्त व्यक्ति है वह किसी मुकदमे में सजायाफ्ता नही है। प्रार्थी /अभियुक्त दिनांक 25.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

दौरान वाद प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है प्रार्थी /अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा किसी गवाह आदि पर कोई दबाव बनाने की आशंका नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के कहीं बाहर भागने की कोई आशंका नही है। प्रार्थी /अभियुक्त मुकदमे के निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः प्रार्थना है कि दौरान वाद प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी /अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थी /अभियुक्त की जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी /अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया है वह गम्भीर प्रकृति का है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि दोनो मजरूब जावेद व सलमान ने अपने मजीद बयान में प्रार्थी/अभियुक्त शिवा राणा द्वारा मजरूबों को गोली मारने का बयान दिया है। जिसकी पुष्टि मजरूबों के मैडिकल से भी होती है। अतः जमानत को काई पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शिवा राणा पुत्र श्री जितेन्द्र राणा , निवासी– के–ब्लोक शास्त्रीनगर, थाना नौचन्दी, मेरठ। हाल निवासी शनि मन्दिर के पास सतवाई मारबल वाली रोड, बागपत रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ की ओर से मु०अ०सं० 67/2025, अर्न्तगत धारा– 109(1), 103(1) बी.एऩ.एस., थाना जानी, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाकः– 06.06.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.06 17:24:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court